समाहरणालय मधेपुरा
(जिला योजना कार्यालय)
-:आदेश:-

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत दिनांक 24.09.2013 को संम्पन्न जिला चयन समिति की बैठक द्वारा अनुमोदित योजना जिसका प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान कर उपलब्ध कराया गया है, के आलोक में तकनीकी अनुमोदन की राशि के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । निदेश है कि योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा की विधिवत प्रकिया अपनाते हुए इस स्वीकृत्यादेश में उल्लेखित शर्तो पर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे एवं निर्धारित अवधि में योजना का कार्य अवश्य पूर्ण करेंगे। योजना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् तत्संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी को ससमय उपलब्ध करायेंगे।

क्र0	विधान सभा क्षेत्र	प्रखंड	योजना का नाम	योजना संख्या	प्राथमिकता सूची का क्रमांक	तकनीकी अनुमोदन की राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि (माह में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मधेपुरा	न0 प0 मधेपुरा	मधेपुरा नगर परिषद्, अन्तर्गत वार्ड न0 10, में कुदरतुल्ला युनानी दवाखना परिसर में सामुदायिक भवन निर्माण	06/2013-14	12	20.00	20.00	5 माह
2	मधेपुरा	मधेपुरा	मधेपुरा प्रखंड अन्तर्गत साहुगढ़ पंचायत-01 में दुर्गा स्थान के बगल में कला मंच निर्माण कार्य।	07/2013-14	16	10.05	10.05	5 माह
3	मधेपुरा	मधेपुरा	मधेपुरा प्रखंड अन्तर्गत बराही बाबा तुलसीराम देव स्थान के बगल में कला मंच निर्माण कार्य।	08/2013-14	21	10.05	10.05	5 माह
4	मधेपुरा	गम्हरिया	गम्हरिया प्रखंड अन्तर्गत पारसमनी उच्च विद्यालय बभनी में कला मंच निर्माण कार्य।	09/2013-14	24	9.08	9.08	5 माह
5	मधेपुरा	घैलाढ	घैलाढ प्रखंड अन्तर्गत इनरवा ठाकुरबाड़ी के बगल में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	10/2013-14	30	10.56	10.56	5 माह
6	मधेपुरा	घैलाढ	घैलाढ प्रखंड अन्तर्गत परसाही पंचायत भवन से पूवारी टोला जानेवाली सड़क के किराने कैलाश बाबू के घर के निकट सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	11/2013-14	31	10.56	10.56	5 माह
7	मधेपुरा	मधेपुरा	मधेपुरा प्रखंड अन्तर्गत मध्य विद्यालय मलिया के प्रांगण में कला मंच निर्माण कार्य।	12/2013-14	32	13.14	13.14	5 माह

2125

8	किशनगंज	ग्वालपाड़ा	ग्वालपाड़ा प्रखंड अन्तर्गत एम0एम0भी0 कॉलेज शाहपुर, ग्वालपाड़ा के प्रागंण में पुस्ताकालय भवन निर्माण कार्य।	13/2013-14	37	22.18	22.18	5 माह
9	मधेपुरा	पैलाढ	पैलाढ प्रखंड अन्तर्गत महावीर स्थान मोहनपुर के निकट खाता नं0 2240,2041 में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	14/2013-14	38	10.56	10.56	5 माह
10	सिंहेश्वर	शंकरपुर	शंकरपुर प्रखंड अन्तर्गत टेंगराहा परिहारी के वार्ड न0 09, में सत्येन्द्र यादव उर्फ बुद्धन बाबू के घर के बगल में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	15/2013-14	35	9.308	9.308	5 माह
11	सिंहेश्वर	शंकरपुर	शंकरपुर प्रखंड अन्तर्गत मधैली वार्ड न0 13, भोला यादव के घर के बगल में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	16/2013-14	26	9.308	9.308	5 माह
			कुल योगः-				134.796	

(कुल मो0 एक करोड़ चौतीस लाख उनासी हजार छः सौ रूपये मात्र)

ह0/0

जिला योजना पदाधिकारी,
मधेपुरा।

अपर योजना पदाधिकारी
मधेपुरा

नियम एवं शर्ते :-

1. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत निर्गत मार्गदर्शिका ज्ञापांक 1875/यो0वि, दिनांक 16.05.2012, विभागीय पत्रांक 220/यो0वि0, दिनांक 14.01.2013, पत्रांक 612/यो0वि, दिनांक 11.02.2013 एवं समय समय पर योजना एवं विकास विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र के आलोक में योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत योजना के प्राक्कलन में पुनरीक्षण मान्य नही होगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर योजना के कार्य को पूर्ण नही किया जाता है, तो इसके लिए संबंधित कार्य एजेंसी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
3. योजना में गुणवत्ता का ह्रास किसी भी परिस्थिति में मान्य नही होगा। इसके लिए संबंधित कनीय अभियंता/सहायक अभियंता मुख्य रूप से जिम्मेवार होंगे।
4. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, कार्य के मध्य में एवं योजना पूर्ण होने के उपरांतयोजना का फोटोग्राफ्स लेकर उसे योजना के पूर्ण होने के उपरांत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं फोटोग्राफी की प्रति अपने योजना अभिलेख में भी संधारित करेंगे।
5. योजना स्थल पर निरीक्षण पंजी रखना अनिवार्य होगा, जिसमें इस योजना के पर्यवेक्षण हेतु प्राधिकृत कनीय अभियंता/सहायक अभियंता एवं समय-समय पर निरीक्षी पदाधिकारी अपना मंतव्य के साथ हस्ताक्षर करेंगे।

6. योजना में कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित हो लेंगे कि इस योजन में विगत पांच वर्षो के अन्तराल में इस योजना पर अन्य किसी मद से कोई कार्य नही हुआ है तथा वर्तमान में यह योजना किसी अन्य मद अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।

7. किसी भी परिस्थिति में योजना में बिचौलिया अथवा ठेकेदार नही होगा। केवल निविदाधारी ही संवेदक होंगे।

8. किसी भी परिस्थिति में निकटतम दूरी उपलब्धता को छोड़कर दूरस्थ स्त्रोत को आधार बनाने पर संबंधित अभियंता कनीय अभियंता के विरूद्ध प्रशासनिक एवं विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

9. यदि योजना का निर्माण किसी सरकारी विभाग की भूमि पर बनाया जाता है तो कार्यकारी विभाग इस आशय का अनापति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त कर प्रमाण पत्र अभिलेख पर अंकित कर देंगे। इसके पश्चात् ही कार्य प्रारंभ करेंगे।

10. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अपने स्तर से स्थानीय स्तर पर एक सूचना निर्गत कर कार्यान्वयन स्थल के रैयती नहीं होने के संबंध में सुनिश्चित होने के पश्चात् ही कार्यारंभ करायेंगे।

11. योजना से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख को निश्चित रूप से जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

12. निर्धारित समय-सीमा के अन्दर योजना को पूर्ण करा कर सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर अभिलेख बंद करते हुए पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा को निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नकः-उल्लेखित 11 प्राक्कलन की एक एक प्रति।

विश्वासभाजन

ह0/

जिला योजना पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 69 जि0यो0, दिनांक 27.01.2014

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः- क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः- कार्यपालक अभियंता,स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि योजना प्रारंभ करने के पूर्व माननीय स0वि0प0 से योजना का शिलान्यास एवं उदघाटन के संबंध में निर्देश प्राप्त कर योजना का क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः- संबंधित अंचल अधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- ✓ जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसे जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने की कृपा करेंगें।

27.01.14

जिला योजना पदाधिकारी,
मधेपुरा।